

## मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्या-डीजी-चार-101(15)/2019(औपबन्धिक) दिनांक: लखनऊ:फरवरी 6 2019

आदेश

उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2015 (यथा संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर औपबन्धिक रूप से पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाए जाने एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप पुलिस स्थापना बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त इन्हें मेरठ जोन तत्कालिक प्रभाव से आवंटित करते हुये नवनियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निरीक्षक ना0पु0 के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। यह पदोन्नति याची द्वारा मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण में दाखिल की गयी निर्देश याचिका संख्या: 1344/2016 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन औपबन्धिक रूप से प्रोन्नति प्रदान की जाती है। मा0 न्यायालय से विपरीत आदेश पारित होने की स्थिति में उक्त कर्मी को पुनः उपनिरीक्षक के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा:-

क्र०	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती	प्रस्तावित तैनाती	चयन वर्ष
1	902330162	आदेश कुमार	श्री शंकर सिंह	09-09-1963	बिजनौर	सहारनपुर	मेरठ जोन	उपयुक्त (औपबन्धिक) 2017

2- पदोन्नति पाये उक्त निरीक्षक अपने नवनियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाए कर्मियों के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो संबंधित जनपद प्रभारी उन्हें अपने स्तर से सूचित करते हुये नवनियुक्त स्थान पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने हेतु सूचित करेंगे। प्रोन्नत पाये इस निरीक्षक के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित उपनिरीक्षक से संलग्न प्रारूप(क)में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या- 13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28-5-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।

(ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।


(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनों परिस्थितियों सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध विद्यमान न हों।

4- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक ना0पु0 को निरीक्षक ना0पु0 के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान पायी जाती हैं तो संबंधित उपनिरीक्षक के पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद व इस मुख्यालय को आख्या उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5- यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जहाँ पर संबंधित उपनिरीक्षक द्वारा स्वघोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के संबंध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय व इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है। सम्बन्धित जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक/जनपद/इकाई प्रभारी उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से अपलोड कर पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन तत्काल कराना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन से सर्वसंबंधित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-प्रारूप(क)



(डा0राकेश शर्मा)

पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक/स्थापना  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ जोन मेरठ।
- 2- पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र।
- 3- पुलिस अधीक्षक, कार्मिक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
- 4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर।

प्रतिलिपि-अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

## स्वघोषणा—पत्र

मैं,----- (नाम/पदनाम व पीएनओ)-----  
 पुत्र-----निवासी-----  
 थाना-----जनपद-----वर्तमान में(जनपद/इकाई का नाम)-----  
 ----- नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-

“मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।”

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3- यह घोषणा—पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण -----
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई-----में कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:----- को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०सं०----- धारा-----थाना ----- जनपद-----में लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को स्थानीय पुलिस अथवा जाँच एजेन्सी-----द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में-----स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/दिनांक

### प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

**नोट:-**स्वघोषणा—पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।